

वादी  
श्रीमद्वा ५० मुखाराम

बनाम

परिवारी  
रामलाल

वत् नारायणपुर

किसम मुकदमा २१५ वाद अधीन धारा ५३, १४४ R.A.C. मु.नं. १५५/२०१८

| तारीख<br>हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज   | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुकम की तारीख<br>में जारी हुए |
|---------------|---|---|
| २०/११/१८      | <p>प्रस्तुत वाद वादी ने परिवारीगण के खिलाफ गैरगैर हस्ता ५३, १४४ के तहत एक किराया वादी का आवेदन दाखल पास ५३, १४४ के तहत हज रामलाल ही वादी को सुन वादी ने किराया की गाम नारायणपुर के ३००००/११, १३, १३, १०६, १०० ने आवेदनीची मेरी कहना सुना पत्नी के परिवारीगण परवान कर करना करने पर उतारु ही किराये के हुजुमा गमा परिवारीगण को खरपयं ग्रा.पं. - नारायणपुर उप. के आपस में खरपयं सामान्य करण पर परवांरा कराने पर खरपयं होन से किराये में उपनिहत तहसीलदा लुपामन को विरुदा से जये की पक्षकारान का शीनामा जाफिके परवांरा कहीं पक्षकारान द्वारा शमीनामा पक्ष किं १००० रुपया जे हांता करु किं शमीनामा इरा. १००० रुपया मिला वादी के आवेदन दाखल में कार्यवाही होके नही होके से पक्षकारान गमक से काम होके फरमान जाएवे</p> <p>किरिये सब आम किरिये नारायणपुर में हुजुमा जमा</p> |   |

उपस्थित अधिकारी  
कुचाम-मिटी (नगर)